राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार

आदेश सं०: SHSB/GA/HR/8145/2024 (P-I)/2452 पटना, **दिनांक: 24/07/2026**

–: आदेश :–

विज्ञापन संख्या–05/2025 के आयुष चिकित्सकों (आयुर्वेदिक, होमियोपैथिक एवं यूनानी) को जिलों में योगदानोपरांत तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए अध्ययन अवकाश (अवैतनिक) हेतु प्राप्त आवेदनों पर सम्यक् विचारोपरांत नीतिगत निर्णय लेते हुए वैसे सभी आयुष चिकित्सक के अभ्यर्थी, जो संविदागत नियोजन के पूर्व स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में नामांकन ले चुके हैं एवं साथ ही ऐसे नामांकन के कारण कॉलेज की सीट भी अवरूद्ध हैं तथा जिनके द्वारा योगदान की अंतिम तिथि तक संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति में योगदान दिया गया है, को स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक 40(दे०चि०) दिनांक 19.01.2011 में वर्णित तथ्यों/शर्तों के आलोक में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूर्ण करने हेतु **योगदान की अंतिम तिथि से अधिकतम तीन वर्ष तक के लिए** अवैतनिक अध्ययन अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है। ये उच्च शिक्षा ग्रहण के पश्चात् संबंधित जिला में पुनः योगदान देंगे।

संबंधित सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव, जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा योगदान की अंतिम तिथि तक योगदान करने वाले आयुष चिकित्सक, जिनकी अध्ययन अवकाश की अवधि अनुमान्य तीन वर्ष है, को सन्तुष्ट होकर अवैतनिक अध्ययन अवकाश हेतु विधिवत् रूप से विरमित किया जाएगा।

यह आदेश नीतिगत निर्णय के तहत विशेष परिस्थिति में निर्गत किया जा रहा है। अतः NHM अंतर्गत भविष्य में नियोजन होने वाले किसी भी संविदागत पद के लिए यह आदेश प्रभावी नहीं माना जाएगा अथवा पूर्वोदाहरण के रूप में मान्य नहीं होगा।

इस प्रकार, माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा समादेश याचिका संख्या–9632/2026 (अमर कुमार एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) में दिनांक 22.07.2026 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में सभी याचिकाकत्ताओं द्वारा कार्यालय में समर्पित आवेदन निष्पादित किये जाते हैं।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

24/7/2026

(अमित कुमार पाण्डेय)

ज्ञापांक : SHSB/GA/HR/8145/2024(P-I)/2452 *पटना, दिनांक: 24/07/2026*

प्रतिलिपि : –

- सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ।
- कार्यपालक निदेशक, राज्य आयुष समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- अपर कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
- संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
- संबंधित जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जि०स्वा०समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- संबंधित क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रशासी पदाधिकारी–सह–प्रभारी, मा०सं०/संयुक्त सचिव–सह–निदेशक (वित्त)/राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, AYUSH एवं RBSK/राज्य कार्यक्रम प्रबंधक/संबंधित पदाधिकारी, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- संबंधित सिविल सर्जन–सह–सदस्य सचिव/जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- निबंधक, बिहार राज्य आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा परिषद्, बिहार, पटना/निबंधक, बिहार राज्य होमियोपैथिक चिकित्सा परिषद्, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- सिस्टम एनालिस्ट–सह–डाटा ऑफिसर, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार को सूचनार्थ एवं समिति के अधिकृत वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
- सभी संबंधित आयुष चिकित्सकों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

24/7/2026

कार्यपालक निदेशक